रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 1984/श्रावण 1, 1906
No. 279] NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 1984/SRAVANA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1984

सा०का०नि० 533(अ).—आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अमृतसर के सेशन न्यायाधीश श्री मनोहर लाल मिर्चिया को, उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन फिरोजपुर में स्थापित विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[सं० 54(एस)/84-स्पे० सेल/3(iii)]

प्रेम कुमार, विशेष सचिव

कारखाने में प्रयोग में लाए जाने वाले पौलीएक्राइलोनीट्रायल चूर्ण पाउडर पर उत्पाद-शुल्क 1 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था, यह निदेश देती है कि ऐसे पौलीएक्राइलोनीट्रायल चूर्ण पर उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क, ऐसे पौलीएक्राइलोनीट्रायल चूर्ण की बाबत संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत किया गया था ।

[सं. 163/84-के.उ.शु.-फा. सं. 93/12/83-सी.एक्स. 3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th July, 1984

NOTIFICATION

No. 163|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of the duty of excise (including non-levy thereof), under the said Act, the duty of excise on polyacrilonitrils powder falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the said Act and used in the factory of production for the manufacture of acrylic fibre, was not being levied under section 3 of the said Act, during the period commencing on the 1st March, 1982 and ending with the 30th September, 1982, hereby directs that the whole of the duty of excise leviable under the said Act and the special duty of excise leviable under sub-section (1) of section 50 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), on such polyacrilonitrile powder, shall not be required to be paid in respect of such polyacrilonitrile powder, on which the duty of excise and special duty of excise was not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[No. 163|84-CE-F. No. 93|12|83-CX.3]

C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984